रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2002/वैशाख 27, 1924
No. 230] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2002/VAISAKHA 27, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2002

सा.का.नि. 371(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2002 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची 1 में,-

(क) क्रम सं0 47 के सामने, घरेलू प्रयोजन के लिए डीजल जेनेरेटर से संबंधित मद सं0 (घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) स्थिर डीजल जेनेरेटर (डीजी) सेटों से शोर प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक/मार्गदर्शक सिद्धांत से संबंधित क्रम सं0 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) स्नान जल के लिए प्राथमिक जल क्वालिटी मानदंड से संबंधित क्रम सं0 93 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"94. डीजल से चलने वाले जेनेरेटर सेटों के लिए शोर सीमा

1. **1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् विनिर्मित डीजल जेनेरेटर सेट (1000 केवीए तक) के लिए शोर सीमा**

1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् विनिर्मित 1000 केवीए तक की दर क्षमता वाले नए

डीजल जेनेरेटर (डीजी) सेटों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय ध्वनि दबाव बाड़ा सतह से 1 मीटर पर 75 डीबी(ए) होगा ।

डीजल जेनेरेटर सेट में विनिर्माणकारी प्रक्रम पर ही अभिन्न ध्वनित बाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए ।

इन डीजल जेनेरेटर सेटों के लिए शोर सीमा के कार्यान्वयन को नीचे पैरा 3 में दिए अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

2. पैरा 1 के अंतर्गत नहीं आने वाले डीजी सेटों के लिए शोर सीमा

पैरा 1 के अंतर्गत नहीं आने वाले डीजी सेटों के लिए शोर सीमा निम्नानुसार होगी :–

2.1 डीजी सेट से शोर को ध्वनिक बाड़ा की व्यवस्था द्वारा या ध्वनित रूप से दक्ष अभिक्रिया द्वारा प्रयोक्ता की ओर से नियंत्रित किया जाएगा ।

2.2 ध्वनिक बाड़ा/ध्वनिक उपचार कक्ष न्यूनतम 25 डीबी(ए) निवेशन हानि के लिए या परिवेशी शोर मानकों को पूरा करने के लिए जो भी अधिक हो, अभिकल्पित होगा (यदि वास्तविक परिवेशी शोर अधिक है तो ध्वनिक बाड़ा/ध्वनिक उपचार के कार्य की जांच पड़ताल करना संभव नहीं हो सकेगा । ऐसी परिस्थिति में अधिमानतः रात्रि के समय में वास्तविक परिवेशी शोर स्तर तक शोर कम करने के कार्य की जांच पड़ताल की जा सकेगी) । निवेशन हानि के लिए माप ध्वनिक बाड़ा/कक्ष से 0.5 मीटर पर भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर की जाएगी और फिर औसत निकाली जाएगी ।

2.3 डीजी सेट में न्यूनतम 25 डीबी(ए) की निवेशन हानि वाली उचित निष्कासन मफलर भी लगा होगा ।

2.4 इन सीमाओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

2.5 डीजल जेनेरेटर सेटों के विनिर्माता/उपयोक्ताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित होंगे :–

01. विनिर्माता, उपयोक्ता को 25 डीबी(ए) निवेशन हानि का मानक ध्वनिक बाड़ा और 25 डीबी (ए) की निवेशन हानि वाला उपयुक्त निष्कासन मफलर की प्रस्थापना करेगा ।

02. उपयोक्ता उचित स्थान निश्चित कर और नियंत्रण उपायों द्वारा उसके परिसर के बाहर उस शोर को, जो डीजी सेट के कारण होता है के स्तरों को परिवेशी शोर अपेक्षाओं के भीतर नीचे लाने का प्रयास करेगा ।

03. किसी डीजी सेट के संस्थापन में डीजी सेट के विनिर्माता की सिफारिशों की कड़ाई से पालना की जाएगी ।

04. डीजी सेट के लिए उचित दिनचर्या और निवारक प्रक्रिया निश्चित होगी और जिसका डीजी सेट विनिर्माता के परामर्श से अनुसरण किया जाएगा जो उपयोग से होने वाले क्षय से डी.जी. सेट के शोर स्तरों को रोकने में सहायता करेगा ।

3. 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् विनिर्मित डीजी सेटों (1000 केवीए तक) के लिए शोर सीमा

3.1 लागू होना

01. ये नियम भारत में 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् विनिर्मित या आयातित 1000 केवीए तक के दर उत्पादन डीजी सेटों को लागू होंगे ।

02. ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे-

(क) भारत से बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए विनिर्मित या आयातित डीजी सेट ; और

(ख) डीजी जो सेट नमूना के प्रयोजन के लिए आशयित है और भारत में विक्रय के लिए नहीं हैं ।

3.2 प्रमाणन की अपेक्षा

ऐसे डीजी सेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उत्पाद" कहा गया है) जिसको ये विनियम लागू होते हैं, प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रदायकर्ता" कहा गया है) के पास अनुमोदित किस्म का प्रमाणपत्र होगा और उसके पास प्रत्येक वर्ष के लिए 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् विनिर्मित या आयातित सभी उत्पाद माडलों के लिए उत्पादन की एकरूपता का विधिमान्य प्रमाणपत्र भी होगा, जिसमें पैरा 1 में विनिर्दिष्ट शोर सीमा होगी ।

3.3 ऐसे डीजी सेटों का विक्रय, आयात या उपयोग जो प्रतिसिद्ध नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं

कोई व्यक्ति ऐसे किसी उत्पाद माडल का विक्रय, आयात या उपयोग नहीं करेगा, जिसके पास अनुमोदित किस्म प्रमाणपत्र और उत्पादन एकरूपता प्रमाणपत्र नहीं है ।

3.4 अनुरूपता लेबल लगाने की अपेक्षा

(i) 'उत्पाद' के प्रदायकर्ता को उत्पाद पर निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अनुरूपता लेबल लगाना चाहिए :--

(क) लेबल टिकाऊ और पठनीय होगा ।

(ख) लेबल 'उत्पाद' सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक भाग पर लगाया जाएगा और 'उत्पाद' की जीवन अवधि के दौरान उसे बदलने की सामान्य अपेक्षा नहीं होगी ।

(ii) अनुरूपता लेबल पर निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होनी चाहिए :--

(क) प्रदायकर्ता का नाम और पता (यदि पता स्वामी के हस्तलेख में वर्णित है तो उसे लेबल में सम्मिलित न किया जाए) ।

(ख) विवरण "उत्पाद" पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुरूप है ।

(ग) शोर सीमा अर्थात् 75 डीबी(ए) 1 मीटर पर ।

(घ) अनुमोदित किस्म प्रकार प्रमाणपत्र सं0 ।

(ङ) उत्पाद के विनिर्माण की तारीख

3.5 नोडल अभिकरण

(i) इन विनियमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल अभिकरण होगा ।

(ii) इन विनियमों के किसी विवाद या कठिनाई की दशा में, मामला नोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(iii) नोडल अभिकरण इन विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलो के संबंध में जिसके अंतर्गत विवादित मामले भी हैं, सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करेगा ।

3.6 प्रमाणन के लिए प्राधिकृत अभिकरण

डीजी सेट के उत्पादन परीक्षण के अनुमोदित किस्म और अनुरूपता के प्रमाणपत्र देने के लिए निम्नलिखित अभिकरण ऐसे परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं, जिन्हें वह ऐसे प्रमाणपत्रो को देने के लिए आवश्यक समझे :--

(i) ' आटोमोटिव रिसर्च ऐसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे

(ii) नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली

(iii) नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, विशाखापत्तनम

(iv) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट

(v) नेशनल एरोस्पेस नेबोरेटरी, बंगलोर

3.7 अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन अभिकरणों की सहायता से अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया तैयार की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी ।

95. नए डीजल इंजन (800 किलोवाट तक) के लिए उत्सर्जन सीमा जेनेरेटर सेटों (जेनसेट्स) लागू होगा

1. उत्सर्जन सीमा

800 किलोवाट तक के नए डीजल इंजनों के लिए उत्सर्जन सीमा, जेनसेटों के लिए वह लागू होगी जो नीचे की सारणी में दी गई है :

डीजल इंजनों की क्षमता	कार्यान्वयन की तारीख	उत्सर्जन सीमा (ग्रा/कि.वा प्रतिघंटा)				धुआँ सीमा (प्रकाश अवशोषण सहदक्षता, $मी^{-1}$) (पूर्ण लोड पर)	परीक्षण चक्र	
		$एनओ_x$	एचसी	सीओ	पीएम		ट्रोक%	भार तोलन कारक
19 कि.वा. तक	1.7.2003	9.2	1.3	5.0	0.6	0.7	100	0.05
	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	75	0.25
>19 कि.वा. से 50कि.वा. तक	1.7.2003	9.2	1.3	5.0	0.5	0.7	50	0.30
	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	25	0.30
>50 कि.वा. से 260 कि.वा. तक	1.7.2003	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	10	0.10
>260 कि.वा. से 800 कि.वा. तक	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7		

2. लागू होना

ये नियम उन सभी नए डीजल इंजनों के जेनसेट को लागू होने के लिए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'इंजन' कहा गया है) जिन्हें भारत में विनिर्मित किया गया है और उन सभी डीजल इंजनों को, जो जेनसेट को लागू होते हैं और उन डीजल जेनसेटों को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उत्पाद' कहा गया है) को लागू होंगे, जिन्हें भारत में प्रभावी तारीख के पश्चात् आयातित किया गया है :

परन्तु यह कि ये नियम निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(क) भारत से बाहर निर्यात के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्मित या आयातित इंजन या उत्पाद ; या

(ख) किसी ऐसे इंजन या उत्पाद, जो केवल नमूने के प्रयोजन के लिए आशयित है और भारत में विक्रय के लिए नहीं है ।

3. **प्रमाणन की अपेक्षाएं**

इंजन का प्रत्येक विनिर्माता या इंजन या उत्पाद का प्रत्येक आयातकर्ता के पास प्रभावी तारीख के पश्चात् सभी इंजन माडलों जो विनिर्मित किए जा रहे हैं या सभी इंजन या उत्पाद माडलों, जो आयात किए जा रहे हैं के लिए पैरा 1 में यथाविनिर्दिष्ट उत्सर्जन सीमा सहित प्रत्येक वर्ष अनुमोदित किस्म का विधिमान्य प्रमाणपत्र और उत्पादन की अनुरूपता का प्रमाणपत्र होगा ।

4. **उस इंजन या उत्पाद का जो इन नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं विक्रय, आयात या उपयोग**

कोई व्यक्ति ऐसे किसी इंजन या उत्पाद का जिसके लिए विधिमान्य अनुमोदित किस्म प्रमाणपत्र और पैरा 3 के अनुसार उत्पादन की अनुरूपता का प्रमाणपत्र नहीं है विक्रय, आयात या उपयोग नहीं करेगा ।

5. **अनुरूपता लेबल लगाने की अपेक्षा**

(i) सभी इंजन (पृथकतः या उत्पाद के भाग रूप) के सिलेण्डर ब्लाक पर स्पष्ट रूप से 'जेनसेट इंजन' उत्कीर्णित होगा ;

(ii) इंजन या उत्पाद पर निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हुए अनुरूपतः लेबल लगा होना चाहिए :-

(क) लेबल टिकाऊ और पठनीय होगा ;

(ख) लेबल 'उत्पाद' के सामान्य प्रचालन के लिए आवश्यक भाग पर लगाया जाएगा और 'उत्पाद' की जीवन अवधि के दौरान उसे बदलने की सामान्य अपेक्षा नहीं होगी ।

(iii) समरूपता लेबल पर निम्नलिखित जानकारी अंतर्विष्ट होनी चाहिए :—

(क) इंजन विनिर्माता या इंजन या उत्पाद के आयातकर्ता का नाम और पता (यदि पता स्वामी के हस्तलेख में वर्णित है तो उसे लेबल में सम्मिलित न किया जाए) ।

(ख) विवरण "यह इंजन या उत्पाद पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुरूप है" ।

(ग) अनुमोदित किस्म प्रकार प्रमाणपत्र सं0 ।

(घ) इंजन के विनिर्माण की तारीख या आयात की दशा में, इंजन या उत्पाद के आयात की तारीख ।

IndiaCode

6. भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों का अनुपालन

20 कि.वा. तक के सभी इंजन(पृथकतः या उत्पाद के भाग रूप) पर आईएसआई चिह्न होगा और सुसंगत भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों (आई एस 10001)को पूरा करेगा ।

7. मोडल अभिकरण

(i) इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मोडल अभिकरण होगा ।

(ii) इन नियमों के किसी विवाद या कठिनाई की दशा में, मामला मोडल अभिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(iii) मोडल अभिकरण इन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामलों के संबंध में जिसके अंतर्गत विवादित मामले भी हैं, सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करेगा ।

8. प्रमाणन के लिए प्राधिकृत अभिकरण

डीजल इंजन के उत्पादन, परीक्षण के अनुमोदित किस्म और समरूपता के लिए प्रमाणपत्र देने के लिए और ऐसे प्रमाणपत्रों को देने के लिए निम्नलिखित अभिकरण ऐसे परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत हैं, जिन्हें वह आवश्यक समझे :—

(i) आटोमोटिव रिसर्च ऐसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे

(ii) वेहिकिल रिसर्च एंड डेवलेपमेंट एस्टेबलिसमेंट, अहमदनगर ।

9. अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणन अभिकरणों की सहायता से अनुपालन और परीक्षण प्रक्रिया तैयार की जाएगी और प्रकाशित की जाएगी ।

10. ईंधन विनिर्देश

डीजल जेनसेट के लिए लागू वाणिज्यिक ईंधन विनिर्देश वहीं होंगे, जो समय-समय पर उस क्षेत्र में डीजल यान के लिए वाणिज्यिक उ.ग.डी. (उच्च गति डीजल) के लिए लागू होते हैं ।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची 6 में, शोर मानकों से संबंधित भाग ङ के खंड ख में, प्रविष्टि "(घ) घरेलू प्रयोजन के लिए डीजल जेनेरेटर" का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. क्यू-15022/2/2001-सीपीए]
सी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र में सं0 का0आ0 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनके पश्चातवर्ती संशोधन का0आ0 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987, का0आ0 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988, का0आ0 3(अ), तारीख 3 जनवरी, 1989, का0आ0 190 (अ), तारीख 15 मार्च, 1989,

सा0का0नि0 913(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का0आ0 12(अ), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा0का0नि0 742(अ), तारीख 30 अगस्त, 1990, का0आ0 23(अ), तारीख 16 जनवरी, 1991, सा0का0नि0 93(अ), तारीख 21 फरवरी, 1991, सा0का0नि0 95(अ), तारीख 12 फरवरी , 1992, सा0का0नि0 329(अ), तारीख 13 मार्च, 1992, सा0का0नि0 475(अ), तारीख 5 मई, 1992, सा0का0नि 797(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सा0का0नि0 386(अ), तारीख 28 अप्रैल, 1993, सा0का0नि0 422(अ), तारीख 19 मई, 1993, सा0का0नि0 801(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सा0का0नि0 176(अ), तारीख 3 अप्रैल, 1996, सा0का0नि0 631(अ), तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सा0का0नि0 504(अ), तारीख 20 अगस्त, 1998, सा0कानि0 7(अ), तारीख 2 जनवरी, 1999, सा0का0नि0 682(अ), तारीख 5 अक्तूबर, 1999, सा0का0नि0 742(अ), तारीख 25 सितम्बर, 2000, सा0का0नि0 72(अ), तारीख 6 फरवरी, 2001 और सा0का0नि0 54(अ), तारीख 22.1.2002 द्वारा किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2002

G.S.R. 371(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) second Amendment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), in Schedule I, --

(a) against serial number 47, item (d) relating to Diesel generators for domestic purposes and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) serial number 83 relating to standards/Guidelines for control of noise pollution from Stationary Diesel Generator(DG) sets and the entries relating thereto shall be omitted;

(c) after serial number 93 relating to Primary Water Quality Criteria for Bathing Waters and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :-

IndiaCode

"94. NOISE LIMIT FOR GENERATOR SETS RUN WITH DIESEL

1. Noise limit for diesel generator sets (upto 1000 KVA) manufactured on or after the 1st July, 2003.

The maximum permissible sound pressure level for new diesel generator (DG) sets with rated capacity upto 1000 KVA, manufactured on or after the 1st July, 2003 shall be 75 dB(A) at 1 metre from the enclosure surface.

The diesel generator sets should be provided with integral acoustic enclosure at the manufacturing stage itself.

The implementation of noise limit for these diesel generator sets shall be regulated as given in paragraph 3 below.

2. Noise limit for DG sets not covered by paragraph 1.

Noise limits for diesel generator sets not covered by paragraph 1, shall be as follows :-

2.1 Noise from DG set shall be controlled by providing an acoustic enclosure or by treating the room acoustically, at the users end.

2.2 The acoustic enclosure or acoustic treatment of the room shall be designed for minimum 25 dB (A) insertion loss or for meeting the ambient noise standards, whichever is on the higher side (if the actual ambient noise is on the higher side, it may not be possible to check the performance of the acoustic enclosure/acoustic treatment. Under such circumstances the performance may be checked for noise reduction upto actual ambient noise level, preferably, in the night time). The measurement for Insertion Loss may be done at different points at 0.5 m from the acoustic enclosure/room, and then averaged.

2.3 The DG set shall be provided with proper exhaust muffler with insertion loss of minimum 25 dB(A).

2.4 These limits shall be regulated by the State Pollution Control Boards and the State Pollution Control Committees.

2.5 Guidelines for the manufacturers/users of Diesel Generator sets shall be as under :-

01 The manufacturer shall offer to the user a standard acoustic enclosure of 25 dB(A) insertion loss and also a suitable exhaust muffler with insertion loss of 25 dB(A).

1601/GI/02 — 2

02 The user shall make efforts to bring down the noise levels due to the DG set, outside his premises, within the ambient noise requirements by proper siting and control measures.

03 Installation of a DG set must be strictly in compliance with the recommendations of the DG set manufacturer.

04 A proper routine and preventive maintenance procedure for the DG set should be set and followed in consultation with the DG set manufacturer which would help prevent noise levels of the DG set from deteriorating with use.

3. LIMITS OF NOISE FOR DG SETS (UPTO 1000 KVA) MANUFACTURED ON OR AFTER THE 1ST JULY, 2003

3.1 Applicability

01. These rules apply to DG sets upto 1000 KVA rated output, manufactured or imported in India, on or after 1st July, 2003.

02. These rules shall not apply to -

(a) DG sets manufactured or imported for the purpose of exports outside India; and

(b) DG sets intended for the purpose of sample and not for sale in India.

IndiaCode

3.2. Requirement of Certification

Every manufacturer or importer (hereinafter referred to as "supplier") of DG set (hereinafter referred to as "product") to which these regulations apply must have valid certificates of Type Approval and also valid certificates of Conformity of Production for each year, for all the product models being manufactured or imported from 1st July, 2003 with the noise limit specified in paragraph 1.

3.3 Sale, import or use of DG sets not complying with the rules prohibited

No person shall sell, import or use of a product model, which is not having a valid Type Approval certificate and Conformity of Production certificate.

3.4 Requirement of Conformance Labelling

(i) The supplier of the 'product' must affix a conformance label on the product meeting the following requirements :-

(a) The label shall be durable and legible.

(b) The label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the 'product' and not normally requiring replacement during the 'product' life.

(ii) The conformance label must contain the following information :

(a) Name and address of the supplier (if the address is described in the owner's manual, it may not be included in the label)

(b) Statement "This product conforms to the Environment (Protection) Rules, 1986".

(c) Noise limit viz. 75 dB(A) at 1 m

(d) Type approval certificate number.

(e) Date of manufacture of the product.

3.5 Nodal Agency

(i) The Central Pollution Control Board shall be the nodal agency for implementation of these regulations.

(ii) In case of any dispute or difficulty in implementation of these regulations, the matter shall be referred to the nodal agency.

(iii) The nodal agency shall constitute a Committee to advise it on all matters; including the disputed matters, related to the implementation of these regulations.

3.6 Authorised agencies for certification

The following agencies are authorized to carry out such tests as they deem necessary for giving certificates for Type Approval and Conformity of Production testings of DG sets and to give such certificates :-

(i) Automotive Research Association of India, Pune

(ii) National Physical Laboratory, New Delhi

(iii) Naval Science & Technology Laboratory, Visakhapatnam

(iv) Fluid Control Research Institute, Palghat

(v) National Aerospace Laboratory, Bangalore

3.7 Compliance and Testing Procedure

The compliance and testing procedure shall be prepared and published by the Central Pollution Control Board, with the help of the certification agencies.

IndiaCode

95. EMISSION LIMITS FOR NEW DIESEL ENGINES (UP TO 800 KW) FOR GENERATOR SETS (GENSETS) APPLICATIONS

1. Emission Limits

The emission limits for new diesel engines up to 800 kw, for gensets applications shall be as given in the Table below:

TABLE

Capacity of diesel engines	Date of implementation	Emission Limits (g/kw-hr) for				Smoke Limit (light absorption coefficient, m^{-1}) (at full load)	Test cycle	
		NO_x	HC	CO	PM		Torque %	Weighting factors
Upto 19 kw	1.7.2003	9.2	1.3	5.0	0.6	0.7	100	0.05
	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	75	0.25
>19 kw upto 50 kw	1.7.2003	9.2	1.3	5.0	0.5	0.7	50	0.30
	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	25	0.30
>50 kw upto 260 kw	1.7.2003	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7	10	0.10
> 260 kw upto 800 kw	1.7.2004	9.2	1.3	3.5	0.3	0.7		

2. Applicability

These rules shall apply to all new diesel engines for genset applications (hereinafter referred to as 'engine') manufactured in India and all diesel engines for genset applications and diesel gensets (hereinafter referred to as 'product'), imported into India, after the effective date:

Provided that these rules shall not apply to : -

(a) any engine manufactured or engine or product imported for the purpose of export outside India, or;

(b) any engine or product intended for the purpose of sample only and not for sale in India.

IndiaCode

3. Requirement of certification

Every manufacturer of engine or every importer of engine or product must have valid certificates of Type Approval and certificates of Conformity of Production for each year, for all engine models being manufactured or for all engine or product models being imported, after the effective date with the emission limit as specified in paragraph 1.

4. Sale, import or use of engine or product not complying with these rules

No person shall sell, import or use of an engine or a product which is not having a valid Type Approval certificate and Conformity of Production certificate as per paragraph 3.

5. Requirement of conformance labelling

(i) All the engines (individually or as part of the product) shall be clearly engraved 'Genset Engine' on the cylinder block.

(ii) The engine or the product must be affixed with a conformance label meeting the following requirements :-
 (a) the label shall be durable and legible;
 (b) the label shall be affixed on a part necessary for normal operation of the engine or the product and not normally requiring replacement during the life of the engine or the product.

(iii) The conformance label must contain the following information:
 (a) name and address of the engine manufacturer or the engine or product importer (if the address is given in the owner's manual, it may not be included in the label);
 (b) statement that 'this engine or product conforms to the Environment (Protection) Rules, 1986';
 (c) type approval certificate number;
 (d) date of manufacture of engine or in case of import, the date of import of the engine or the product.

6. Compliance with BIS specifications

All engines up to 20 kw (individually or as part of the product) shall carry ISI mark and meet relevant BIS specifications (IS 10001).

7. Nodal agency

(i) The Central Pollution Control Board shall be the nodal agency for implementation of these rules.

(ii) In case of any dispute or difficulty in implementation of these rules the matter shall be referred to the nodal agency.

(iii) The nodal agency shall constitute a Committee to advise it on all matters, including the disputed matters, related to the implementation of these rules.

8. Authorised agencies for certification

The following agencies are authorized to carry out such tests as they deem necessary for giving certificates of Type Approval and Conformity of Production tests for Diesel engines and to give such certificates :-

(i) Automotive Research Association of India, Pune.
(ii) Vehicle Research and Development Establishment, Ahmednagar.

9. Compliance and testing procedure

The compliance and testing procedure shall be prepared and published by the Central Pollution Control Board with the help of the Certification Agencies.

10. Fuel Specification

The specification of commercial fuel applicable for diesel gensets shall be the same as applicable for commercial HSD(High Speed Diesel) applicable for diesel vehicles in the area, from time to time."

3. In the said rules, in Schedule VI, in Part E relating to NOISE STANDARDS, in clause B, the entry "(d) Diesel generator for domestic purposes" shall be omitted.

IndiaCode

[F. No. Q-15022/2/2001-CPA]

C. VISWANATH, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O.844(E) 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O.433(E) dated 18th April, 1987, S.O.64(E) dated 18th January, 1988, S.O.3(E) dated 3rd January, 1989, S.O.190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) the 24th October, 1989, S.O.12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R.742(E) dated the 30th August, 1990, S.O.23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329 (E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797 (E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386 (E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631 (E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504 (E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682 (E) dated the 5th October, 1999, G.S.R. 742 (E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated 6th February, 2001 and G.S.R.54(E) dated 22.1.2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.